न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 34/2025
दायर दिनांकः–18.06.2025
पीठासीन अधिकारीः– विजयेश कुमार पण्डया, आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री रोहित गांधी पुत्र श्री सुनिल गांधी, मैसर्स गांध चम्पालाल गुलाबचंद बगवास प्रतापगढ़
2. श्री रामावतार अग्रवाल पुत्र श्री गिरधारी लाल, एफ 438 ए रोड नं. 12 जयपुर पोस्ट विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया जिला जयपुर 302013
3. मैसर्स श्याम धाणी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, खसरा नं. 06/1067, मानपुरा रोड़, देहली बॉयपास के पास तहसील चौमु जयपुर 303806
4. श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा (प्रतिनिधि) वार्ड नं. 17, इस्लामपुर, झुंझुनु 333024

– अप्रार्थीगण

:–आदेश–:

दिनांक 05/08/2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प1 (2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिसब्राण्ड गरम मसाला (श्याम) का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (V) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभि[illegible]कारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर [illegible] स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय [illegible]अधिकारी द्वारा [illegible] पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की [illegible] प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:40:04 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ़

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.11.2024 को 02.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मै0 गांधी चम्पालाल गुलाबचंद बगवास पहुंचा। वहां पर गरम मसाला (श्याम) 50–50 ग्राम के 80 पैकेट पैक अवस्था में रखे थे। उस समय मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित हुआ उसे अपना परिचय दिया व उसका परिचय लिया। विक्रेता ने अपना नाम रोहित गांधी पुत्र श्री सुनिल गांधी होना बताया। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा जो विक्रेता के पास मौके पर उपलब्ध था। पैक अवस्था में रखे गरम मसाला (श्याम) पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया ओर बता दिया गया कि उक्त का पैक अवस्था में एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है। जिसकी प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त 50–50 ग्राम गरम मसाला के 8 पैक थैलियां वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदी जिसकी कीमत 445 रू0 नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एव फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त खरीद गरम मसाला की पैक थैलियों को पैक अवस्था में विक्रेता एवं गवाहान के सामने लेबल तैयार कर प्रत्येक थैलियों पर चिपकाये और लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक , दिनांक व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग भूरे कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ प्रतापगढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. वाई 2329 नियमानुसार चारो नमूना डिब्बों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व रेपर पर होते हुए करवाये, गवाह के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना के रेपर पर कोड नम्बर, सिरियल नम्बर, वस्तु का नाम दिनांक व स्थान अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकरी ने हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय में पहुँच कर खाद्य सुरक्षा [illegible] प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल [illegible] 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक [illegible] स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करा रसीद प्राप्त की । 1 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:40:04 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ

सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करा कर रसीद प्राप्त की । शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है । शेष चौथा नमूना मय फार्म नं0 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर डीओ प्रतापगढ़ को जमा कराई, प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया गरम मसाला का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया । इस क्रम में मालिक द्वारा खाद्य अनुज्ञापत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की। साथ ही विक्रेता ने द्वितीय अपील हेतु भी आवेदन किया। उक्त क्रम मे दिनांक 31.01.2025 को मेमोरेण्डम द्वारा रेफरल लेब को सेम्पल भिजवाया गया जिसकी खाद्य विश्लेषक पुणे से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार उक्त सेम्पल मिसब्राण्ड होना पाया गया।

अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थीगण उपस्थित एवं प्रकरण में जवाब देने से मना किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला पूणे से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या आरएफएल/पी/डीओ/135/25/169/2025 दिनांक 20.02.2025 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा गरम मसाला का नमूना जांच रिपोर्ट में misbrand होना पाया गया है , जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:40:04 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त [illegible] खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ

पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है ।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी के वहां दिनांक 06.11.2024 को उपलब्ध माल 80 पैकेट की कुल कीमत 4480 रू की पॉच गुना शास्ति 22400/रू अक्षरे बाईस हजार चार सौ रू शास्ति अप्रार्थी क्रमांक 4 पर आरोपित की जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0/नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक **05.08.2025** से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2025/ दिनांक 05.08.2025

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा (प्रतिनिधि) वार्ड नं. 17, इस्लामपुर, झुंझुनु 333024

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:40:04 IST
Reason: SelfAttested